



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-12/2003-04

मु0 हादी मियाँ

बनाम्

मु0 अफरोट उर्फ अफरोज

—: आदेश :—

दिनांक 8/9/23

वर्तमान अपील वाद में दोनों पक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान अपील वाद में दोनों पक्ष का अभिरुचि नहीं रह गया है। अतएव पक्षकार के अभिरुचि के अभाव में वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।
8/9/23

उपायुक्त
गोड्डा।
8/9/23